दूरभाष नं0 : (05612)230836
e-mail:- rofirozabad@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board
भवन स0–3/5 बी, सेक्टर–3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

Ref. No. : 512/MI-298/2023 Date : 07-01-2023

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.: Joint Committee Report in compliance of the orders dated 29.08.2022 and 12.12.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 497/2022, Sunny Yadav Versus State of UP & ors.

Sir,

That in compliance of the orders dated 29.08.2022 and 12.12.2022 passed by this Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 497/2022, Sunny Yadav Versus State of UP & ors. the Joint Committee Report and view point of the State Board are annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may place before the Hon'ble Tribunal.

Therefore, the Joint Committee Report and view point the State Board are attached herewith for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely,

7/1/23

(V. K. Dubey)
Regional Officer
UPPCB, Firozabad

Copy to:

1. Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Arvind Kumar, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-4, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

(V. K. Dubey)

REPORT

PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT), NEW DELHI

O.A. No. 497 of 2022

IN THE MATTER OF

SUNNY YADAV **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH **RESPONDENT**

INDEX

S.N.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	**REPORT** OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN THE MATTER OF O.A. NO. 497/2022 SUNNY YADAV VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF HON'BLE NGT, ORDRT DATED: 29.08.2022.	
2.	**ANNEXURE-A**: HON'BLE NGT ORDER DATED:29.08.2022	

Report

In compliance of

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi's order dated 29.08.2022

In the matter of Original Application No.497/2022

(Sunny Yadav Versus State of Uttar Pradesh)

Joint Committee

(CPCB, UPPCB & District Magistrate, Mainpuri, UP)

Contents

S.N.	Description	Page No.
1.0.	Background	4
2.0.	Introduction	5
3.0.	Inspection and Monitoring of Joint Committee	5-10
3.1.	Inspection of M/s Dayal Brick Kiln	5-7
3.2.	Inspection of M/s Govind Brick Works	7-8
3.3.	Inspection of M/s Shiv Ent Bhatta	8-9
4.0.	Recommendation	9-10
	ANNEXUR 11 -: Photo Gallery	

1.0. Background

In compliance of the Hon'ble NGT order dated 29.08.2022 in the matter of O.A. No. 497 of 2022Sunny YadavVersus State of Uttar Pradesh regarding verification of factual position of complaintabout illegaloperation ofthree brick kilns, namely, (i) M/s Dayal Brick and Tiles, Nagariya, DistrictMainpuri, (ii) M/s Shiv Ent Bhatta, Ghitoli, District Mainpuri and (iii) M/s Govind BrickWorks, Devamai, District Mainpuri in violation of environmentalnorms. It is submitted that the above said brick kilns are located in muchthickly populated area of village, school or petrol pump and are causingenvironmental pollution posing serious health hazards and danger to thelife of residents of the locality.The relevant part of the order is as follow:

"....In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of CPCB, UPPCB and District Magistrate, Mainpuri and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance...."

In compliance to said order, following committee was constituted.

Nominated Members

1. Sh. Arvind Kumar, Scientist 'B', CPCB, RD Lucknow
2. Mrs. Navodita Sharma,SDM, Mainpuri
3. Sh. Chandra Shekhar, AEE, Regional Office, UPPCB, Firozabad

Other Members

1. Sh. Deepak Yadav, JRF, Regional Office, UPPCB, Firozabad

2.0. Introduction:

Complainant stated in his complain that three brick kilns, namely, (i) M/s Dayal Brick and Tiles, Nagariya, District Mainpuri, (ii) M/s Shiv Ent Bhatta, Ghitoli, District Mainpuri and (iii) M/s Govind Brick Works, Devamai, District Mainpuri are in violation of environmental norms and also submitted that the above said brick kilns are located in much thickly populated area of village, school or petrol pump and are causing environmental pollution posing serious health hazards and danger to the life of residents of the locality. To verify the factual status, the inspection of brick kilns was carried out on 29.11.2022. Lekhpals of concerned areas are also associated for verification of siting distance and measurement through revenue maps. Reports of Lekhpals regarding siting distance measurement are annexed as **Annexure-1.**

3.0. Inspection and Monitoring of Joint Committee:

Committee carried out the inspection of these three brick kilns namely , i) M/s Dayal Brick and Tiles, Nagariya, District Mainpuri, (ii) M/s Shiv Ent Bhatta, Ghitoli, District Mainpuri and (iii) M/s Govind Brick Works, Devamai, District Mainpuri on 29.11.2022. During inspection only representative of brick kilns proponent was present. The applicant was informed to associate with joint committee and connected telephonically by UPPCB but applicant did not associate with joint committee. Copy of communication with applicant is annexed as **Annexure-2.** Brick kilns wise salient observations and recommendations of inspection team are as below:

3.1. Inspection of M/s Dayal Brick and Tiles:

3.1.1. Observation:

1. M/s /s Dayal Brick and Tiles is located at Village Nagariya, Post Dharau, District Mainpuri and owned by Sh. Lalit Verma.
2. The brick kiln is operational with valid consent granted since 08.01.2002 by UPPCB, copy of the consent in enclosed as **Annexure-3**.
3. The brick kiln has granted consent with installed capacity 20,000 bricks/day under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 by UPPCB which is valid up-to 31.07.2025.

4. As per receipt of mining fee submitted to Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, 1.345 hectare land is allotted to brick kilns for mining in Financial Year 2022-23. Copy of receipt is enclosed as **Annexure-4**.
5. During visit the brick kiln was found non-operational and it is informed that firing will start from January 2023.
6. The brick kiln is based on zig-zag technology with installed ID fan.
7. The brick kiln does not have adequate stack monitoring facility i.e., proper platform, porthole and ladder.
8. Coal is being used as fuel for brick kiln firing and was stored in open covered with tarpaulin.
9. Internal roads within the premise of brick kilns were unpaved and causing fugitive emission while movement of vehicle.
10. Green belt is developed only two side of brick kiln and remaining two side of brick kiln have no green belt.
11. The brick kiln has one bore well for meeting requirement of manufacturing of green bricks. No flowmeter is installed at borewell and no permission from CGWA has been obtained for the same.
12. As per Lekhpal report, distance of habitation, Orchid, Schools, Petrol Pump, other nearest brick kiln, and National/ State Highway from brick kiln is as bellow:

S.N.	Parameter	Distance	
1.	Nearest habitation as village	North	Village-Lahra Mahuan 1500 m
		South	Village Mahmood Nagar, 600 m
		East	Village-Nagariya 300 m
		West	Village-Dharau,600 m
2.	Nearest Orchid	No orchid	
3.	Nearst Brick kilns	Shiv parbha Eant Udhyog 3 km	
4.	Nearest School	Suditi Global Academy 300 m Pt. Lakhpati Rai Jr. High School 120 m	
5.	Nearest Petrol Pump	Shanti filling station 2 K.m.	
6.	Nearest State Highway	600 meter Devi Dharak bypass	

13. It is also observed that residential houses have been also constructed near brick kiln premise.

3.2. Inspection of M/s Govind Brick Works:

3.2.1. Observation:

1. M/s Govind Brick Works is located at Village Devamai, District Mainpuri and owned by Sh. Sunil Kumar Verma.
2. The brick kiln is operational with valid consent granted since 16.03.2005 by UPPCB, copy of the consent in enclosed as **Annexure-5**.
3. The brick kiln has granted consent with installed capacity 22,000 bricks/day under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 by UPPCB which is valid up-to 31.07.2024.
4. As per receipt of mining fee submitted to Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, 0.8138 hectare land is allotted to brick kilns for mining in Financial Year 2022-23. Copy of receipt is enclosed as **Annexure-6**.
5. During visit the brick kiln was found non-operational and it is informed that firing will start from January 2023.
6. The brick kiln is based on zig-zag technology with installed ID fan.
7. The brick kiln does not have adequate stack monitoring facility i.e., proper platform, porthole and ladder.
8. Coal is being used as fuel for brick kiln firing and was stored in open covered with tarpaulin.
9. Internal roads within the premise of brick kilns were unpaved and causing fugitive emission while movement of vehicle.
10. No proper green belt is developed around the brick kilns.
11. The brick kiln has one borewell for meeting requirement of manufacturing of green bricks. No flowmeter is installed at borewell and no permission from CGWA has been obtained for the same.
12. As per Lekhpal report, distance of habitation, Orchid, Schools, Petrol Pump, other nearest brick kiln, and National/ State Highway from brick kiln is as bellow:

S.N.	Parameter	Distance	
1.	Nearest habitation	North	Village-Kodar 400 m

7|50

	as village	South	Village- Paij, 270 m
		East	Village-Devamai 600 m
		West	Village-Kapurpur,1300 m
2.	Nearest Orchid	No orchid	
3.	Nearst Brick kilns	JSB Brick Field 2.2 km	
4.	Nearest School	Primary School Devamai 700 m Maan Singh primary school 800 m	
5.	Nearest Petrol Pump	Sohan filling station 3.6 K.m.	
6.	Nearest State Highway	2.9 Km Mainpuri Shikohabad Marg	

13. It is also observed that residential houses have been also constructed near brick kiln premise.

3.3. Inspection of M/s Shiv Ent Bhatta:

3.3.1. Observation:

1. M/s Shiv Ent Bhatta is located at Village Ghitauli, District Mainpuri and owned by Sh. Mamta Verma.
2. The brick kiln is operational with valid consent granted since 08.01.2002 by UPPCB, copy of the consent in enclosed as **Annexure-7**.
3. The brick kiln has granted consent with installed capacity 22,000 bricks/day under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 by UPPCB which is valid up-to 31.07.2024.
4. As per receipt of mining fee submitted to Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, 2.1750 hectare land is allotted to brick kilns for mining in Financial Year 2022-23. Copy of receipt is enclosed as **Annexure-8**.
5. During visit the brick kiln was found non-operational and it is informed that firing will start from January 2023.
6. The brick kiln is based on zig-zag technology with installed ID fan.
7. The brick kiln does not have adequate stack monitoring facility i.e., proper platform, porthole and ladder.

8. Coal is being used as fuel for brick kiln firing and was stored in open covered with tarpaulin.
9. Internal roads within the premise of brick kilns as well as link road were unpaved and causing fugitive emission while movement of vehicle.
10. No proper green belt is developed around the brick kilns.
11. The brick kiln has one borewell for meeting requirement of manufacturing of green bricks. No flowmeter is installed at borewell and no permission from CGWA has been obtained for the same.
12. As per Lekhpal report, distance of habitation, Orchid, Schools, Petrol Pump, other nearest brick kiln, and National/ State Highway from brick kiln is as bellow:

S.N.	Parameter	Distance	
1.	Nearest habitation as village	North	Village-Sindhpur 1500 m
		South	Village Ghitauli, 875 m
		East	Village-Kaderahar 1600 m
		West	Village Jaswantpur Nagar, 1200 m
2.	Nearest Orchid	No orchid	
3.	Nearst Brick kilns	M/s Yadav Brick Field 400 meters	
4.	Nearest School	Purv Madhyamik Vidyalaya Jaswantpur 570 m Primary School Madhupuri 640 meters Samrath Prithviraj Chauhan Mahavidyalaya Ghirauni- 590 meters	
5.	Nearest Petrol Pump	Jasvantpur filling station 1 K.m.	
6.	Nearest State Highway	315 meter	

4.0. Recommendation:

1. All the three brick kilns are established on or before 2005 based on applicable siting guideline of Jila Panchayat (Copy of guideline is enclosed as **Annexure-9**) and thereafter obtained consent under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 Act from UPPCB. However, these brick kilns are not meeting the new siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh on 2012

(Copy of notification is enclosed as **Annexure-10)**.As per CPCB,while renewing the consent of brick kilns, siting criteria notified by State of Uttar Pradesh on 2012 should be verified and complied.

2. These brick kilns should not be allowed to operate without:
   a) Providing adequate stack emission monitoring facility.
   b) Obtaining NOC from State Ground water Department.
3. All the three brick kilns should have pucca road within the premise for vehicle movement to prevent fugitive dust emission. Link road for brick kiln namely M/s Shiv Ent Bhatta should be paved.
4. All three brick kilns should develop proper green belt as per consent to minimize dust emission.
5. Water sprinklers are required to be deployed for prevention of fugitive emission.
6. Fuel should be stored under proper shed to prevent fugitiveemission.
7. Flow meter should be installed at borewell for better water Management.
8. Environmental monitoring report which includes ambient air quality, stack emission monitoring required to submitted by Project Proponent on bi-monthly basis while in operation.

Arvind Kumar

(Sh. Arvind kumar)
Scientist 'B', CPCB, RD Lucknow

(Mrs. Navodita Sharma)
SDM, Mainpuri

Point of view of UPPCB is Attached

(Sh. Chandra Shekhar)
AEE,RegionalOfficeUPPCB,Firozabad

10/50

Dyadav 10/1/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : H86862/सी–4/एनजीटी–266/2022 दिनांक 05/01/23

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/समयबद्ध

e-mail द्वारा

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
फिरोजाबाद।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–497/2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2022 के अनुपालन में सी0पी0सी0बी0 से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या/संस्तुति के संबंध में अभिमत/स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद के पत्रांक–500/एमआई–298/2022, दिनांक 29.12.2022 के क्रम में बिन्दु संख्या–4.0 में बिन्दु–1 के संबंध में बोर्ड के विधि अनुभाग द्वारा विधिक्षित Point of View संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

AEE / file
WSE 10/1

11/50

UPPCB's Point of View

1. In view of State Pollution Control Board, it is pertinent to mention here that the provisions of the Notification No.-921/55-Parya/12-94/(Parya)/11 Dated 27-06-2012 are applicable for the siting criteria for the establishment of the new brick kilns in the State of Uttar Pradesh.

2. Sri Ashok Kumar Verma, Advocate, Senior Panel Counsel of U.P. Pollution Control Board has provided his opinion on applicability of the Notification No.-921/55-Parya/12-94/(Parya)/11 Dated 27-06-2012 as such as regards the provisions of Rule 2 of Rules 2012 (Distance from residential area/ population/sensitive area/mango or fruit orchard), are concerned theses are prospective in nature but in case there is any old brick kiln established and running prior to the date of enforcement of Rules, 2012 in accordance with law but having no valid consents to operate, the provision of the Rules, 2012 will apply retroactively. The copy of the same is enclosed herewith for reference as Annexed.

प्रदीप शर्मा
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

05.1.23

ASHOK KUMAR VERMA
Advocate
Senior Panel Counsel
Union of India

(Mob) 9335246338.
538 - Ka/1500, Mausam Bagh,
Triveni Nagar, Ph-2,
Near Bright Land School,
Lucknow-226020 (U.P.).

Date:26/02/2022

To,

The Law Officer -- I,
U.P. Pollution Control Board,
Gomti Nagar,
Lucknow.

Sub:-- Legal Opinion in pursuance of Letter dated 24/02/2022.

Sir,

After going through "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules 2012, which has been enforced wef. 27/06/2012 it is submitted that as is apparent from Rules, 2012 these rules have been framed by the State Government with a view to regulate the siting criteria for establishment of new brick kilns in the State of Uttar Pradesh. From the perusal of objects of framing the Rules, 2012 it is apparent that the main object was to regulate the siting criteria of **new brick kilns** in the State of U.P. As such the old brick kilns which were already established by applying siting criteria of establishment of brick kiln according to the prevailing byelaws of Zila Panchayat and were granted no objection/consent to establish by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred as "Board") and were also granted the consent to operate by the Board, as a right vested in them with regard to the establishment of the brick kiln and the right to operate the brick kiln was subject to the conditions contained in the consent order granted by the Board as such in view of Rule 1(2) of the Rules, 2012, the provisions of Rule 2 of Rules, 2012 are prospective in nature and as regards the criteria for the establishment of the Brick Kilns under the aforesaid Rules, 2012 cannot be applied to Old Brikck Kilns already established and having valid consent orders to operate. It is relevant to mention here that in view of provisions of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 the obtaining of the no objection to establish the Brick Kiln is only one time and there is no provision for its renewal, the aforesaid provisions are prospective in nature and will not be applicable to Old Brick Kilns as referred earlier.

So far as the operation of Rules, 2012 as regards the permission to operate the brick kilns it is submitted that the old brick kilns already lawfully established and having no objection/consent to establish granted by the Board prior to the commencement of Rules, 2012, the consent to run/operate the aforesaid brick kilns already granted and subsisting on the date of commencement of Rules, 2012, the consent was to be continued for the unexpired period but for seeking renewal of the consent to operate after enforcement of Rules, 2012 the other provisions except the provisions relating to the establishment of the new brick kiln are being enforced in respect of considering the renewal of consent to operate by enforcing the Rules, 2012 except the provisions which relate and confined to Rules, 2012 are prospective.

& Another) while considering the matter in respect of Brick Kilns existing since 2010 without consent to establish and without consent to run has been pleased to hold Rules, 2012 to be retroactive in nature so far as such Brick Kilns are concerned, as such to such Brick Kilns which were established prior to enforcement of Rules, 2012 and were having no consent to run, to such Brick Kilns Rules, 2012 will apply. The operative portion of the said order is mentioned as below:

"..................It is clear from the records that when the brick kiln was established in 2010, it had taken an NOC from the Zila Parishad but it had not obtained the consent of the UPPCB under Section 21 of the Air Act. The Air Act had been promulgated on 29th March, 1981. In terms of Section 21(6) of the Air Act, no person shall, without the previous consent of the UPPCB, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area. Even the units which were operative at the time of commencement of the Act were granted period of three months from the date of commencement of the Air Act, within which they were required to take the consent of the Board. Thus, there was a statutory obligation on the part of the appellant to seek consent of UPPCB for establishing and operationalizing its unit. Admittedly, the appellant did not take consent of the Board till the show cause notice dated 19th January, 2013 was issued to it. It is only after issuance of this show cause notice that the appellant had filed an application for grant of consent which admittedly has been granted on 6th September, 2013. Thus, for the first time when the unit applied for obtaining consent of the UPPCB was in August, 2013, that is, when the Air Act and all the laws framed thereunder, including the Rules of 2012, were in force. The application for grant of consent ought to have been considered by the UPPCB in accordance with the laws in force, when the application was moved and not when the unit claims to have been established or the time since when it was running. Admittedly, the unit of the appellant had come into existence without complying with the laws in force, particularly the environmental legislations. Before the appellant can claim any advantage on the strength of beneficial interpretation of the relevant provisions in order to contend that it being an existing unit and is covered only by the Rules in force in 2010 and not by the Rules of 2012 as these are prospective in nature, the unit must show that it came into existence upon entirely complying with the laws in force at that time and after obtaining the consent of the Board under the provisions of the Air Act. If a unit is established in violation of the laws in force and in an illegal manner, then it would be estopped from claiming any benefit on the ground of the laws being prospective. Such unit cannot be permitted to exist in violation of the laws in existence, i.e. the Rules of 2012 and the prescribed standards under the Air Act. This shall be the position of law, independent of the contention that such procedural laws which are mandatory and only add additional obligation, but does not take away any existing rights, would have to be treated retroactively.........................."

It is to be noted that from the aforesaid judgment it is apparent that the siting criteria of Rules, 2012 applies to the new brick kilns to be established after its enforcement but in case old brick kilns established prior to the enforcement of Rules, 2012 and having no valid consent on the date of enforcement, to such Brick Kilns the provisions of Rules, 2012 will apply retroactively and cannot claim to have a vested right in them.

Against the aforesaid order dated 07.05.2015 passed in Appeal no. 74/2014 by

The said Civil Appeal has been dismissed by the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 12.10.2015. The operative portion of the said order is reproduced as below:

"..................

3. We have heard Shri Pradeep Misra, learned counsel for the appellant and carefully perused the material available on record. In our considered opinion, we do not see any good ground to interfere with the judgment and order passed by the Tribunal.

4. Accordingly, the appeal stands dismissed."

It is further submitted that in the matter of a writ petition no. 10083 (M/B) of 2014 M/s New Swami Brick Field Vs State of U.P. & Others when the matter came before the Hon'ble High Court At Lucknow and the dispute raised was about violation of Article 19 (1) (g) the Hon'ble Court was of the view as below:

"........After respective arguments have been advanced, this Court finds that in exercise of authority conferred under Section 21 read with Section 54 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, State Government has proceeded to frame rules in respect of establishment of new brick kiln and said rules are known as Uttar Pradesh Int Bhattha (Sthapna hetu Sthal Mapdand) Niymawali 2012. Said rules in question contains various guidelines that are to be adhered to be for establishment of new brick kiln.

Petitioner is assailing the validity of said rules, not at all on the ground of competence of the State Government to frame said rules that has been so framed in consultation with U.P. Pollution and Control Board, rather challenge has been made that same has the effect of infringing and violating the fundamental right of petitioner guaranteed under Article 19 (1) (g) of the Constitution of India to carry out the business by the petitioner.

Once in statutory exercise of authority, statutory rules have been framed for the purposes of carrying out the object of Act and not dehors of the same and in the said direction for the purposes of establishment of new brick kiln rules have been framed, and therein in the place wherein brick kiln could be established, qua the same parameters have been fixed , in reference of residential area, population, sensitive area , and distance to be maintained from mango grooves and others, and the said restrictions are being assailed that same violates fundamental right of the petitioner under Article 19 (1-g) of the Constitution of India, said challenge cannot be accepted for the reason that State Government is always competent to impose reasonable restriction in carrying out the business.

Article 19 (6) of the Constitution recognises and permits reasonable restriction on the rights guaranteed under Article 19 (1) (g) of Constitution, and said reasonableness of restriction on being assailed has to be determined in an objective manner and from the stand point of interest of general public and not from the stand point of interest of persons upon 4 whom such restrictions would have impact, as restriction can not be said to be unreasonable merely because in a given case, it operates harshly. Apex Court in the case of Union of India Vs. International Trading Company 2003(5) SCC 437 has taken the view that when some decision is taken in purported exercise of statutory power in public interest, acting reasonably and in good faith, then said challenge should receive no interference from Courts. Right to carry on business is guaranteed under Article 19(1)...

right to carry on business can always be regulated in public interest and that is the purport of Article 19(6) which recognises and permits reasonable restriction.

On the said parameters, we examine the restriction in question that is being assailed before this Court and we find that all the terms and conditions that have been so imposed, has the tapping and element of public interest, as one of the condition is that no brick kiln would be established within 200 meters from the railway track, no brick kiln would be opened within a distance of 100 meter from the main road/ PWD road; no brick kiln would be opened within the distance of 300 meter from the National Highway; and no brick kiln would be opened within distance of 800 meter from earlier brick kiln. These norms in question are guided by public interest and has to be dubbed and termed as reasonable restriction.

Learned Counsel for the petitioner next contended that in the present case, rules in question are discriminatory, inasmuch as old brick kiln has been permitted to run and thus person who intend to be in the same business have been discriminated.

Caption of the rules makes it clear that rules are meant for the persons who intend to run and establish new brick kiln business and as far as old brick kiln is concerned, said rules are not at all applicable or attracted and under the said rules in question in reference of old brick kiln that are being or that is being intended to run even they would comply with the terms and conditions on which permission has been accorded to them to run brick kiln.

The Rules in question is clearly prospective in nature and as such 5 persons who have been in business in the past, constitute a class amongst themselves, and claiming parity vis-a-vis them cannot be accepted. Apex Court in the case of John Vallamattom Vs. Union of India 2003 (6) SCC 2902 has taken the view that equality clause enshrined under Article 14 of the Constitution is of wide import, and restriction imposed by reason of statute , however, can be upheld in the event it is held that the person to whom the same applies, forms a separate and distinct class and such a classification is reasonable one based on intelligible differentia having nexus with the object sought to be achieved. Once the object is to regulate establishment of new brick kiln, then claiming parity with incumbent who are already in business, is wholly unreasonable request as they under the scheme of things from a separate and distinct class, and arguments advanced if accepted would frustrate the object sought to be achieved........"

As such as regards the provisions of Rule 2 of Rules, 2012 are concerned these are prospective in nature but in case there is any old brick kiln established and running prior to the date of enforcement of Rules, 2012 in accordance with law but having no valid consents to operate, the provision of the Rules, 2012 will apply retroactively.

Ashok Kumar Verma

(Ashok Kumar Verma)
Advocate.

ANNEX-(1)

महोदय,
आपके द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में गोविन्द ब्रिक्स कार्स देवामई मैनपुरी की चिमनी से आबादी की दूरी, बगीचा आदि के सम्बन्ध में जांच की गई जांचोपरान्त बिन्दुवार आख्या निम्नवत है -

(1) निकटतम आबादी वाले ग्राम की दूरी - (न० धारमऊ - 250 मी०)

उत्तर - न० ओडर - 400 मीटर

दक्षिण - न० पैज - 270 मीटर

पूरब - देवामई - 600 मीटर

पश्चिम - कपूरपुर - 1300 मीटर

(2) निकटतम बगीचा - नही है।

(3) निकटतम स्कूल - प्रा० पा० देवामई - 700 मी०
 प्रा० पा० न० भानसिंह - 800 मी०

(4) निकटतम पेट्रोल पम्प - सोहन फिलिंग स्टेशन न० मढ़िया 3.6 किमी.

(5) निकटतम राजमार्ग / स्टेट हाइवे - 2.900 किमी० (मैनपुरी - फिरोजाबाद मार्ग)

(6) निकटतम ईंट भट्ठा - J.S.B ब्रिक्स फील्ड न० कुंशी 2.2 किमी.

उक्त के अतिरिक्त कुछ आवासीय मकान भट्ठा बाउण्ड्री के पास भी स्थित है। आख्या सादर प्रेषित है। [signature] 30/11/2012

[redacted]

महोदय,

आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे मैसर्स ग्रीन ईंट भट्ठा गाटा नं० 1410 ग्राम छिटौली मैनपुरी की स्थिति से आबादी की दूरी, बाग बगीचा की दूरी के सम्बन्ध मे जाँच की गयी जाँचोपरान्त बिंदुवार आख्या निम्नवत है।

(1) निकटतम आबादी वाले ग्रामो की दूरी

पूरब	-	कड़ेगाहर भाग ओदेण्य पश्चिम	1.600 Km
पश्चिम	-	जसवन्तपुर भाग छिटौली	1.200 Km
उत्तर	-	सिंहपुर भाग ओदेण्य पश्चिम	1.500 Km
दक्षिण	-	छिटौली	0.875 Km

(2) निकटतम बगीचा - कोई नही

(3) निकटतम स्कूल - पूर्व मा० वि० जसवन्तपुर - 570 मी०
प्रा० वि० मधुपुरी - 640 मी०
सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय छिटौली - 590 मी०

(4) निकटतम पेट्रोल पम्प की दूरी - जसवन्तपुर फिलिंग स्टेशन दूरी 1 Km

(5) निकटतम राजमार्ग / स्टेट हाइवे - 315 मीटर

(6) निकटतम ईंट भट्ठा - यादव ब्रिक फील्ड दूरी - 450 मीटर

आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
30.11.2022

महोदय,

आपके द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रस्तावित विक्रेता शरद राजन्द्र ग्राम नगरिया पो० धारूढ़ जौनपुरी की दिशाओं से आबादी की दूरी, बगीचा आदि के सम्बन्ध में जाँच की गयी। जाँचोपरान्त बिन्दुवार आख्या निम्नवत है—

① निकटतम आबादी वाले ग्राम का नाम व दूरी — नगरिया, 300 मी० (लगभग)

उत्तर — लहरा मकुन्दपुर (शाहगंज), 1500 मी० (लगभग)

दक्षिण — मुकुन्दनगर, ६०० मी०, (लगभग)

पूर्व — नगरिया, 300 मी० (लगभग)

पश्चिम — धारूढ़, ६०० मी० (लगभग)

② निकटतम बगीचा — नहीं है।

③ निकटतम विद्यालय — (1) सुशीला ग्लोबल एकेडमी, 300 मी० (लगभग)
(2) प० लखपति राम जू० हाईस्कूल, 120 मी० (लगभग)

④ निकटतम पेट्रोल पम्प — शान्ति फिलिंग स्टेशन, केराकत रोड, 2 कि०मी० (लगभग)

⑤ निकटतम राजमार्ग/स्टेट हाइवे — ६०० मी० (केराकत-धारूढ़ मार्ग रोड) लगभग

⑥ निकटतम ईंट भट्ठा — शिवमुनि ईंट उद्योग [illegible], 3 कि०मी० (लगभग)

उक्त के अतिरिक्त कुछ आवासीय मकान ईंट भट्ठा बाउण्ड्री के पास स्थित हैं। आख्या सादर प्रेषित है।

[signature] 30/11/2022

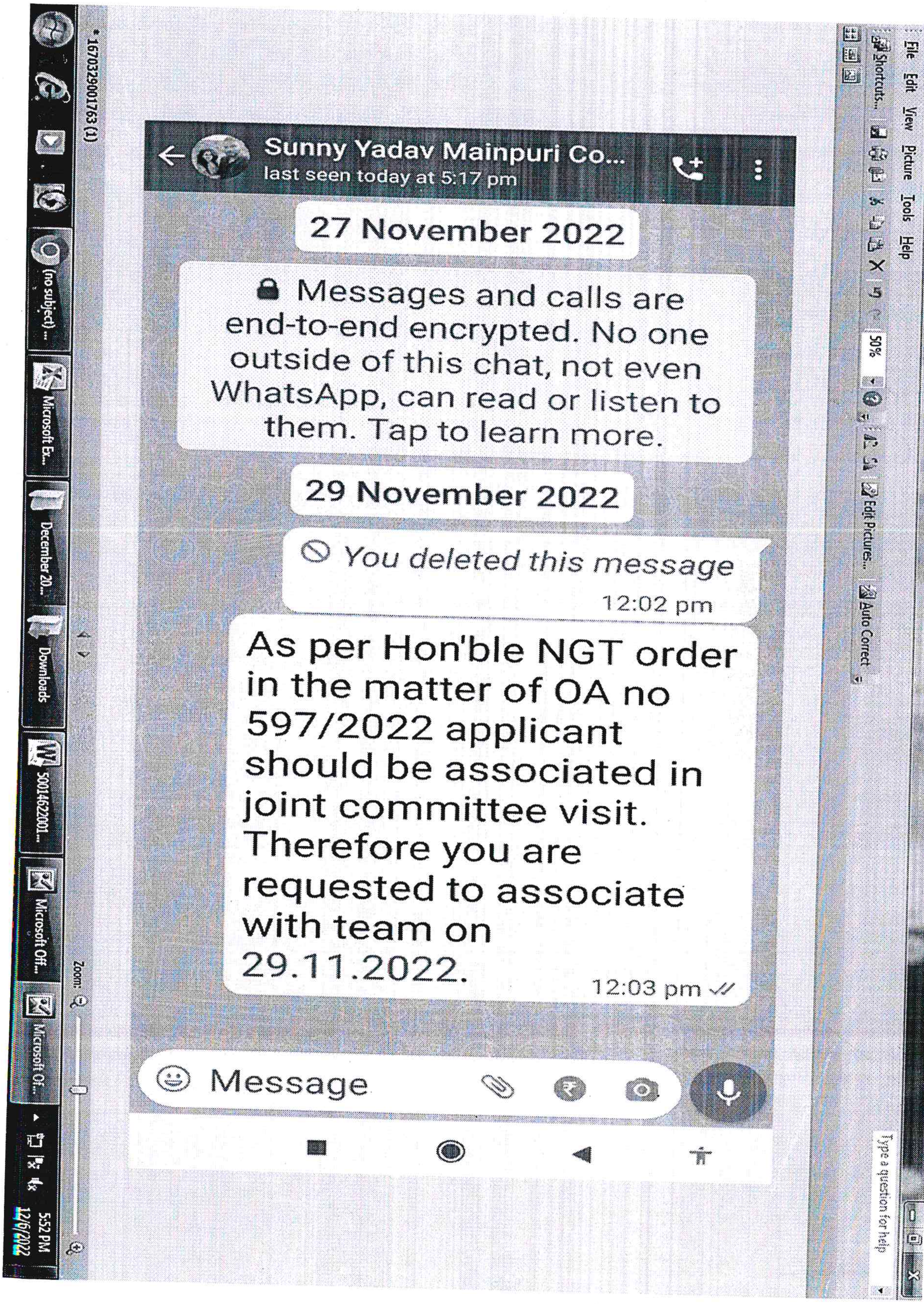
Sunny Yadav Mainpuri Co...
last seen today at 5:17 pm
27 November 2022
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29 November 2022
You deleted this message
12:02 pm
As per Hon'ble NGT order in the matter of OA no 597/2022 applicant should be associated in joint committee visit. Therefore you are requested to associate with team on 29.11.2022.
12:03 pm
Message

Annexure-3

पंजीकृत

संदर्भ संख्या, 81 / एम0डी0-71 /वायु प्रदूषण/ 2002/6 दिनांक 6.1.2002

सेवा में,

मै0 दयाल ब्रिक्स एण्ड टायल्स
ग्राम- मगरिया
जनपद- मैनपुरी

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, संशोधित अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 6.12.2001 का अवलोकन करें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 287 सहमति (वायु) आदेश/ 2002/6 दिनांक 6.1.2002 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1,3-9,12-21 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दी गई शर्तो एवं दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय में अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. ______ के0 बी0 ए0 क्षमता के डी0 जी0 सैट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से ______ मी0 ऊँचा किया जाय।
3. फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के 06 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु व्यवस्था जैसे वैफिल्ड, ग्रेविटी सैटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो कि जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. ईट भट्ठा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
9. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम वैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति— वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय

सहा0 पर्या0 अभि0

में उपकर विवरणी भेजने की सलाह दी जाती है।

12. यह सहमति आदेश दिनांक 6/19/07 में अंकित उत्पादन ईंधन की खपत के लिए ही वैध है।

13. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 176 (ई) दिनांक 2.4.96, कार्यालय ज्ञाप संख्या डी.सी.सी./14/13/97 दिनांक 13.11.97 एवं क्यू 16015/41/2000– सी.पी.ए. दिनांक 10.11.2000 तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 682 (अ) दिनांक 5.10.99 द्वारा ईंट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. ईंट भट्ठा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से पर्याप्त जल छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।

15. ईंट निर्माण हेतु निकटतम थर्मल पावन स्टेशन से फ्लाई ऐश प्राप्त कर उक्त का यथा सम्भव प्रयोग किया जाय।

16. ईंधन के रूप में पल्वराइज्ड कोल (10 मि.मी. आकार) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

17. ईंट भट्ठा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से खनन कार्य की अनुमति, जिला पंचायत से नवीनतम लाइसेन्स तथा व्यापार कर विभाग आदि से प्राप्त पंजीयन प्रमाण–पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतियाँ इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित की जाये।

18. यह सहमति आदेश दिनांक 30.06.2002 तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने पर ही दिनांक ________ तक वैधता बढ़ाई जायेगी।

19. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईंट भट्टों को निकटतम कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय संयन्त्रों से 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईंट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

20– ईंट भट्ठे गराइस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक– 22.12.2001 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा स्टैक मानीटरिंग हेतु समुचित व्यवस्था की जा

21– ईंट भट्ठा पर सहमति वायु शुल्क के मद में बकाया होने पर देय होगी।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 नियन्त्रण बोर्ड के पास, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

[signature]

फैक्स
दूरभाष } 400910

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे–1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़–202 001

सहमति आदेश–पत्र

संख्या................................29/सहमति (वायु) आदेश / 2002/6 .... दिनांक 8.1.2002

विषय–सहमति मैं दयाल ब्रिक एण्ड टायल्स, ख0 नं0 392 ग्राम–नगरिया मैनपुरी

वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) आधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ– आवेदन संख्या........................ शून्य ....दिनांक 6.12.2001

1. वायु अधिनियम के 1981 अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 दयाल ब्रिक एण्ड टायल्स, मैनपुरी ....को अपने संयन्त्रों से सलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमंडल में उत्र्सजन हेतु वोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. वायु सहमति दिनांक 6.12.2001 ....से 30.06.2002 अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

अनुलग्नक : संलग्न

(सहमति शर्तें)

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

पंजीकृत

संदर्भ संख्या, 86 / एम0डी0-7। / जल प्रदूषण / 2002/5 दिनांक 11. 1. 2002

सेवा में,

मै0 दयाल ब्रिक्स एण्ड टायल्स
ग्राम- नगरिया
जनपद- मैनपुरी

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधन अधिनियम, 1978 एवं 1988 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्रांक ________ दिनांक 6. 12. 2001 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 310/72/2002/5 दिनांक संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु संख्या 1, 3-9, 12-19 दिनांक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आकृष्ट किया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। मीटर की रीड़िग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग के प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा कैलीबरेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्त के एक माह के अन्दर प्रेषित करें। वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण भूमि पर किया जा रहा है तो निस्तारण हेतु समुचित सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना सुनिश्चित करें।
5. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्यित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हों।
9. ईट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया

जाये।

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को [illegible] में उपकर विवरणी भेजने की सलाह दी जाती है।

11. यह सहमति आदेश आवेदन दिनांक ______ [illegible] में अंकित उत्पादन ईंधन की क्षमता [illegible] वैध है।

12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. [illegible] दिनांक 2.4.96, कार्यालय ज्ञाप संख्या डी.सी.सी./14/13/97 दिनांक [illegible] 16015/41/2000-- सी.पी.ए. दिनांक 10.11.2000 तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. [illegible] दिनांक 5.10.99 द्वारा ईंट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. ईंट भट्ठा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से [illegible] का छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।

14. ईंट निर्माण हेतु निकटतम थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाई ऐश प्राप्त कर [illegible] प्रयोग किया जाये।

15. ईंधन के रूप में पल्वराइज्ड कोल (10 मि.मी. आकार) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

16. ईंट भट्ठा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से [illegible] की अनुमति, जिला पंचायत से प्राप्त नवीनतम लाइसेन्स तथा व्यापार कर विभाग आदि से प्राप्त नवीनतम प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतियाँ इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर बोर्ड को [illegible]

17. यह सहमति आदेश दिनांक 30.06.2002 ______ तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने पर ही दिनांक ______ तक [illegible]

18. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना [illegible] दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईंट भट्ठों को निकटतम कोयला या लिग्नाइट आधारित [illegible] 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईंट निर्माण में [illegible] फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

19- ईंट भट्टे द्वारा इस कार्यालय [illegible] दिनांक- [illegible] का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये [illegible]

20- [illegible] सहमति शुल्क [illegible] में [illegible] होगा।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के [illegible] जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके [illegible] 31(ए) के अन्तर्गत [illegible] किसी भी [illegible] या परिवर्तन करने का अधिकार [illegible] है।

संलग्नक: [illegible]

[illegible]

25/50

फैक्स } 400910
दूरभाष

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे–1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़–202 001

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश–प्रपत्र

संख्या 310/1/ /सहमति (जल) आदेश/2001/5 दिनांक 8. 1. 2002

विषय दयाल ब्रिक्स एण्ड टायल्स, खसं0 392 ग्राम-नगरिया जनपद- मैनपुरी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 / 26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

सन्दर्भ : आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक 6. 12. 2001

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहि:श्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै0 दयाल ब्रिक्स एण्ड टायल्स, मैनपुरी को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू/ औद्योगिक बहि:श्राव– के स्थानीय सरिता/ नदी/ कुयें में/ भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति वर्ष 2001 के मास दिसम्बर दिन 06 से 30. 06. 2002 अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम। 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो लागू हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

[signature]
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : अनुलग्नक (सहमति शर्तें)

Annexure-4

Application No.- 312322230013

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश
DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

This is to certify that ***LALIT KUMAR VERMA*** resident of- DHARAU NAGARIYA, , Mainpuri, Uttar Pradesh, 20500 **GSTN - 09AAAFD9885C1Z8** is Proprietor of Brick kiln **DAYAL BRICKS AND TILES** Located at District - **Mainpuri,** Tehsil - **Mainpuri,** Village - **Nagriya,** Gata - **613,614** Number of Paya- **14,** Brick Kiln Type- **ZigZag** has submitted amount **212870** as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session **2022-2023** by Rajkosh challan number ***AKD220273272*** Dated - **01/12/2022**

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil.

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Mainpuri	Mainpuri	Navada	JASKARAN SINGH ,HOTE LAL ,SUNEEL ,GULAB SINGH , CHANDRA PAL ,SHIV DAYAL ,RAAM KISAN ,ASHA RAM , RAM BARAN	218,30,423,48,55,57	1.345

Issuing Date : 01/12/2022

Valid Till : 30/09/2023

This Certificate has been Digitally issued. It has been Downloaded by the applicant from Departmental portal upmines.upsdc.gov.in. after depositing Regulating Fee. This Certificate does not require any Signature.It's validity can be checked from portal upmines.upsdc.gov.in.

फैक्स दूरभाष } 2400910

Annexure-5 30

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे-1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़-202 001

91

पंजीकृत

पत्र संख्या 633/M.ML-333/जल प्रदूषण/2005

दिनांक 16-3-05

सेवा में,

मै0 श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स
ग्राम- देवामई
जनपद- मैनपुरी

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधन अधिनियम, 1978 एवं 1988 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्रांक शून्य दिनांक 10.3.2005 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 2005 दिनांक संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु संख्या 1,3-8,11से18 तक दिनांक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आकृष्ट किया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। मीटर की रीड़िग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग के प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा कैलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्त के एक माह के अन्दर प्रेषित करें। वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण भूमि पर किया जा रहा है तो निस्तारण हेतु समुचित सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना सुनिश्चित करें।
5. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हों।
9. ईट भट्ठा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध

में उपकर विवरणी भेजने की सलाह दी जाती है।

11. यह सहमति आदेश आपके द्वारा प्रस्तुत सहमति आवेदन दिनांक ____________ में अंकित एवं ईंधन की खपत के लिए ही वैध है। 10.3.2005

12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. 141 दिनांक द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित जायेगा।

13. ईंट भट्ठा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु वाटर टैंक बनाकर दिन में कम से कम तीन बार नियमित पर्याप्त जल छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।

14. ईंट भट्ठा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से खनन कार्य की अनुमति, जिला पंचायत से प्राप्त नवीनतम लाइसेन्स तथा व्यापार कर विभाग आदि से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण–पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतियाँ इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित की जाये।

15. यह सहमति आदेश दिनांक ~~30.6.2005~~ तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने पर ही दिनांक ____________ तक वैधता बढ़ाई जायेगी।

16. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. 563 दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईंट भट्ठों को निकटतम कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय संयन्त्रों से 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईंट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

17. आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक ____________ का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

18. ईंट–भट्टे पर सहमति शुल्क बकाया होने की स्थिति में शुल्क देय होगा।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित 1978 एवं 1988 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(डा0 राजीव उपाध्याय)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. संख्या

तद् दिनांक ______

प्रतिलिपि– निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी / अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत मैनपुरी
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय अधिकारी

फैक्स
दूरभाष } 2400910

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे – 1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़ 202 001

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

(फार्म XV)

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 160 / सहमति (जल) आदेश / 2005 दिनांक 16.3.05

विषय मै0 श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स, देवामई जनपद– मैनपुरी ।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 / 26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति ।

सन्दर्भ : आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक 10.3.2005

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःस्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै0 श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स जनपद– मैनपुरी को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू/ औद्योगिक बहिःस्राव के स्थानीय सरिता / नदी / कुएं मे / भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति वर्ष 2005 के मास मार्च दिनांक 10 से 30.6.2005 अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम। 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी / सभी शर्तों पर पुन: विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो लागू हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : अनुलग्नक (सहमति शर्तें)

…वीनयाजन का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश… हुए नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट… 30/50

33

फैक्स
दूरभाष } 0571-2400910

क्षेत्रीय कार्यालय

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे–1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़ – 202 001

पंजीकृत

संदर्भ संख्या, 633/M-07-333/वायु प्रदूषण/ 2005 दिनांक 16.3.2005

सेवा में,

मै० श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स
ग्राम- देवामई
जनपद- मैनपुरी

विषय – वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, संशोधित अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.3.2005 का अवलोकन करें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 160 सहमति (वायु) आदेश/ 2005 दिनांक 16.3.05 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1, 3–8, 11 से 19 तक जो नीचे वर्णित है, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दी गई शर्तो एवं दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय में अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. .... के० वी० ऐ० क्षमता के डी० जी० सैट से संलग्न चिमनी को भूतल/भवन छत से .... मी० ऊंचा किया जाय।

3. फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे बैफिल्ड ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाय जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले–आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6. आपके ईट भट्टे का संचालन इस प्रकार से हो कि जिससे वायु मण्डल की गुणता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।

7. ईट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।

8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

9. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।

10. ईट भट्टे में ईंधन के रूप में पल्वराईज्ड बोल का प्रयोग किया जाये।

31/50

11. यह सहमति आदेश आपके द्वारा प्रस्तुत सहमति आवेदन दिनांक .... में अंकित उत्पादन एवं ... की खपत के लिए ही वैध है।

12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं.141 दिनांक 03.04.199.. द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

13. ईट भट्टा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु वाटर टैंक बनाकर दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से पर्याप्त जल छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।

14. ईट भट्टा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से खनन कार्य की अनुमति, जिला पंचायत से प्राप्त नवीनतम लाइसेन्स तथा व्यापार विभाग आदि से प्राप्त पंजीयन प्रमाण–पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतियां इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित की जाय।

15. यह सहमति आदेश दिनांक 30.6.2005 तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने जाने पर ही दिनांक .... तक वैधता बढ़ाई जायेगी।

16. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं.563 दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईट भट्टों को निकटतम कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय संयन्त्रों से 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। आपका ईंट भट्टा उपरोक्त परिधि में स्थित होने की दशा में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

17. आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक .... का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. ईट भट्टे पर सहमति शुल्क बकाया होने की स्थिति में शुल्क देय होगा।

19. ईट भट्टे का संचालन सत्र में कम से कम एक बार मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्टैक मानिटरिंग कराकर विश्लेषण आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(हस्ताक्षर) 16.3.05

(डा० राजीव उपाध्याय)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. संख्या

तद् दिनांक....................

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत मैनपुरी
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

फैक्स
दूरभाष } 2400910

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे–1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़–202 001

सहमति आदेश–पत्र

संख्या 160 / सहमति (वायु) आदेश / 2005 दिनांक 16-3-05

विषय–सहमति मैं0 श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स, देवामई जनपद- मैनपुरी।

वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) आधिनियम, 1981 की धारा 21 / 22 के अन्तर्गत।

संदर्भ– आवदन संख्या शून्य दिनांक 10.3.2005

1. वायु अधिनियम के 1981 अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र के अनुक्रम में मै0 श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स जनपद- मैनपुरी को अपने संयन्त्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. वायु सहमति दिनांक 10.3.2005 से 30.6.2005 अवधि तक मान्य है'

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

अनुलग्नक : संलग्न

(सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी

Application No.- 312322230016

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश

DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

This is to certify that ***SUNIL KUMAR VERMA*** resident of- DEVA MAI, AGRA ROAD, , Mainpuri, Uttar Pradesh, 2 **GSTN - 09AAIPV2846F1ZC** is Proprietor of Brick kiln **GOVIND BRICKS WORKS** Located at District - **Mainpuri,** Tehsil - **Mainpuri,** Village - **Deva Mai,** Gata - **82 and 83** Number of Paya- **15,** Brick Kiln Type- **ZigZag** has submitted amount **224750** as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session **2022-2023** by Rajkosh challan number ***AKD220273257*** Dated **- 01/12/2022**

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil.

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Mainpuri	Mainpuri	Nouner	jagveer singh, munna lal,	5940,6979me, 11322me,6569me,7885me,8694me	0.8138

Issuing Date : 01/12/2022

Valid Till : 30/09/2023

This Certificate has been Digitally issued. It has been Downloaded by the applicant from Departmental portal upmines.upsdc.gov.in. after depositing Regulating Fee. This Certificate does not require any Signature.It's validity can be checked from portal upmines.upsdc.gov.in.

क्षेत्रीय कार्यालय

Annexure-7

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे–1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़–202 001

पंजीकृत

संदर्भ संख्या, 824 / /वायु प्रदूषण/ 2002/4 एम0एस0–312 दिनांक / /1/2002

सेवा में,

मै0 शिव ईट भट्टा
ग्राम–घिरौली
जनपद– मैनपुरी

विषय– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, संशोधित अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक /12/2001 का अवलोकन करें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या /1/ 302 सहमति (वायु) आदेश/ 2002/4 दिनांक 8.1.2002 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1,3-9,12-21 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दी गई शर्तों एवं दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय में अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. ____________ के0 बी0 ए0 क्षमता के डी0 जी0 सैट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से ____________ मी0 ऊँचा किया जाय।
3. फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु व्यवस्था जैसे वैफिल्ड, ग्रेविटी सैटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले–आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो कि जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. ईट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
9. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम वैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति– वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध

में उपकर विवरणी भेजने की सलाह दी जाती है।

12. यह सहमति आदेश दिनांक 6/12/2001 में अंकित उत्पादन ईंधन की खपत के लिए ही वैध है।

13. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 176 (ई) दिनांक 2.4.96, कार्यालय ज्ञाप संख्या डी.सी.सी./14/13/97 दिनांक 13.11.97 एवं सं. 16015/41/2000– सी.पी.ए. दिनांक 10.11.2000 तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 682 (अ) दिनांक 5.10.99 द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. ईंट भट्ठा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप से पर्याप्त जल छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।

15. ईंट निर्माण हेतु निकटतम थर्मल पावन स्टेशन से फ्लाई ऐश प्राप्त कर उक्त का यथा सम्भव प्रयोग किया जाय।

16. ईंधन के रूप में पल्वराइज्ड कोल (10 मि.मी. आकार) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

17. ईंट भट्ठा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से खनन कार्य की अनुमति, जिला पंचायत से नवीनतम लाइसेन्स तथा व्यापार कर विभाग आदि से प्राप्त पंजीयन प्रमाण–पत्र/अनुज्ञा पत्र/अनुमति की प्रतियाँ इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित की जाये।

18. यह सहमति आदेश दिनांक 30.06.2002 तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र की शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने पर ही दिनांक ____________ तक वैधता बढ़ाई जायेगी।

19. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईंट भट्ठों को निकटतम कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय संयन्त्रों से 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईंट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

20– ईंट भट्टे द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक– 22.12.2001 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायें तथा स्टैक मानीटरिंग हेतु समुचित व्यवस्था की जायें।

21– उद्योग द्वारा सहमति शुल्क बकाया होने पर देय होंगे।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 नियन्त्रण बोर्ड के पास, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा0 राजीव उपाध्याय)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. संख्या

तद् दिनांक ________

प्रतिलिपि– निम्नलिखित के सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी /अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मैनपुरी
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

फैक्स } 400910
दूरभाष }

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे–1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़–202 001

सहमति आदेश–पत्र

संख्या 302/1/ /सहमति (वायु) आदेश /2002/4 दिनांक 8. 1. 2002

विषय–सहमति में शिव ईंट भट्ठा प्लॉट नं0 140 ग्राम– थिरौली जनपद– मैनपुरी

वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) आधिनियम, 1981 की धारा 21 / 22 के अन्तर्गत।

संदर्भ– आवेदन संख्या शून्य दिनांक 6. 12. 2001

1. वायु अधिनियम के 1981 अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 शिव ईंट भट्ठा, मैनपुरी को अपने संयन्त्रों से सलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. वायु सहमति दिनांक 06. 12. 2001 से 30. 06. 2002 अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

अनुलग्नक : संलग्न

(सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी

फैक्स } 400910
दूरभाष }

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे–1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़–202 001

पंजीकृत

संदर्भ संख्या, 810 / एम0एस0–312 / जल प्रदूषण / 2002/3 दिनांक 11/01/2002

सेवा में,

मै0 शिव ईंट भट्टा
ग्राम- घिरौली
जनपद- मैनपुरी

विषय– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधन अधिनियम, 1978 एवं 1988 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्रांक शून्य दिनांक 6/12/2001 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 3।5/1/2002/30 दिनांक संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु संख्या 1,3-9,12-19 दिनांक पर आवश्यक कार्यवाही 2002 करने हेतु आकृष्ट किया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। मीटर की रीड़िग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग के प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी–नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें वी–नाच की मापी गई सूचनायें तथा कैलीबरेशन चार्ट समय–समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्त के एक गाह के अन्दर प्रेषित करें। वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण भूमि पर किया जा रहा है तो निस्तारण हेतु समुचित सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना सुनिश्चित करें।
5. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्यित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हों।
9. ईट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें। परिसर के चारों ओर कम से कग 10 गीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया

41

जाये।

10 आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वर्णित नियमों का पूर्णतया पालन करने की ... में उपकर विवरणी भेजने की सलाह दी जाती है।

11 यह सहमति आदेश आवेदन दिनांक 6 /12/2001 में अंकित उत्पादन हेतु ... वैध है।

12 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना ... दिनांक 2.4.96, कार्यालय ज्ञाप संख्या डी.पी.सी. / 14 / 13 / 97 दिनांक ... 16015 / 41 / 2000 सी.पी.ए. दिनांक 10.11.2000 तथा अधिसूचना संख्या ... दिनांक 6.10.99 द्वारा ईंट भट्टों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों तथा तत्सम्बन्धित पालन ... सुनिश्चित किया जायेगा।

13 ईंट भट्ठा क्षेत्र में धूल की रोकथाम हेतु दिन में कम से कम तीन बार नियमित रूप ... छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।

14 ईंट निर्माण हेतु निकटतम थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाई ऐश प्राप्त कर उसका ... किया जाये।

15 ईंधन के रूप में पल्वराइज्ड कोल (10 मि.मी. आकार) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

16 ईंट भट्ठा संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिलाधिकारी कार्यालय से खनन कार्य ... जिला पंचायत से प्राप्त नवीनतम लाइसेन्स तथा व्यापार कर विभाग आदि से प्राप्त ... प्रमाण पत्र / अनुज्ञा पत्र / अनुमति की प्रतियाँ इस पत्र की प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित ...

17 यह सहमति आदेश दिनांक 30.06.2002 तक मान्य है। सहमति आदेश पत्र के ... सन्तोषजनक अनुपालन पाये जाने पर ही दिनांक तक वैधता बढ़ाई ...

18. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. ... दिनांक 14 सितम्बर, 1999 में ईंट भट्ठों को निकटतम कोयला या लिग्नाईट आधारित थर्मल ... 50 कि.मी. परिधि में होने की दशा में ईंट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग किया ... अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

19- ईंट भट्ठे द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक- 22.12.2001 का ... अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा स्टैक मानीटरिंग हेतु समुचित व्यवस्था की ...

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना अथवा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 नियन्त्रण ... जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित 1978 एवं 1988 की ... 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित ... वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति आरक्षित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

भवदीय

पृ. संख्या

प्रति लिपि

(डा0 राजीव ...)

39/50

फैक्स } 400910
दूरभाष }

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

जे–1, ज्ञानसरोवर कालोनी, रामघाट रोड
अलीगढ़–202 001

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश–प्रपत्र

संख्या 315/1/सहमति (जल) आदेश/ 2002/3 दिनांक 8.1.2002

विषय मेसर्स शिव ईंट भट्टा, ब0 नं0 140 ग्राम–पिढौली जनपद– मैनपुरी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 / 26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

सन्दर्भ : आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक 6.12.2001

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै0 शिव ईंट भट्टा, मैनपुरी को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू/ औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/ कुयें में/ भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति वर्ष 2001 के मास दिसम्बर दिनांक 06 से 30.06.2002 अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम। 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो लागू हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

संलग्नक : अनुलग्नक (सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure- 8

Application No.- 312322230002

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश

DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

This is to certify that ***ममता वर्मा*** resident of- ममता वर्मा W/O सुनील कुमार वर्मा, करहल रोड, घिटौली **GSTN - 09AAIPV2844H1ZA** is Proprietor of Brick kiln **SHIV ENT BHATTA** Located at District - **Mainpuri,** Tehsil - **Mainpuri,** Village - **Ghitoli,** Gata - **140** Number of Paya- **15,** Brick Kiln Type- **ZigZag** has submitted amount **224750** as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session **2022-2023** by Rajkosh challan number ***AKD220273262*** Dated - **01/12/2022**

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil.

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Mainpuri	Mainpuri	Augautha	RAJEEV KUMAR,avdesh kumar ,sharda devi , sanju , veresh , leela vati.	302 KHA To 654/ khata sr. 01405	2.1570

Issuing Date : 01/12/2022

Valid Till : 30/09/2023

This Certificate has been Digitally issued. It has been Downloaded by the applicant from Departmental portal upmines.upsdc.gov.in. after depositing Regulating Fee. This Certificate does not require any Signature.It's validity can be checked from portal upmines.upsdc.gov.in.

खण्ड-घ-पंचायती राज

28 सितम्बर, 1992 ई०

संख्या 1517/21--132(91-94)-स्था०नि०शा०--जिला परिषद, गाजीपुर द्वारा उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 239(2)(50) के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ईंट-भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी, भट्ठों आदि को नियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से निम्नांकित उपविधियां बनाई, जिसकी पुष्टि आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ने की है । इसे उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है । यह उपनियम गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू समझी जायेगी । इस उपनियम के लागू होने के उपरान्त क्रमशः विज्ञप्ति सं० 1069/21-34 (70-73) दिनांक 26 जनवरी, 1974, संख्या 2527/21-332(73-76) दिनांक 3 मई, 1976, सं० 7508/1321-88(82-85) दिनांक 19 जून, 1984, विज्ञप्ति संख्या 120/21-291(85-88) दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 द्वारा प्रकाशित उपनियमों का ईंट-भट्ठा से संबंधित अंश निरस्त समझा जायेगा :

उपविधि

1--कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएं आदि जनपद गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट-भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना व सुर्खी आदि बिना जिला परिषद गाजीपुर से लाइसेन्स प्राप्त किये न बनायेगा, न फुंकेगा और न बनवायेगा और न फुंकवायेगा ।

2--इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा--

(अ) आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय ऐसी इमारतें अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते हैं, से ईंट भट्ठा, टाइल्स अथवा खपड़ा, चूना व सुर्खी 200 मी० की दूरी के अन्दर न बनाया या फुंका जायेगा न ही बनवाया या फुंकवाया जायेगा ।

(ब) सार्वजनिक राष्ट्रीय तथा राजमार्ग के मध्य से 80 मी०, अन्य मार्गों के मध्य से 25 मी० के अन्तर्गत किसी भट्ठे का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ईंट, टाइल्स, खपड़ा, चूना या सुर्खी आदि फूंका जायेगा और न ईंट तथा खपड़ा आदि एकत्रित किया जायेगा और न उसके बनाने व निर्माण करने या फूंकने का प्रयत्न किया जायेगा ।

(स) (1) आम के बाग से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में ईंटों के भट्ठे की दूरी 1-5 कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिए । उत्तर दक्षिण दिशा में यह दूरी 300 मी० से कम नहीं होनी चाहिए ।

(स) (2) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम देशी या कलमी बागों पर लागू होगी जिनका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई बागों का संयुक्त से दाई एकड़ से कम न हो । आम के बागों तथा उसकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जायेगा, जो एक दूसरे से मिले हों । मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिला परिषद् के कार्य अधिकारी लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे ।

3--इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी ।

4--इन उपनियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर लाइसेन्स अधिकारी को अनुज्ञा पत्र निरस्त करने, निलम्बित करने अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा ।

5--लाइसेंसिंग अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला परिषद् को अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा ।

6--अनुज्ञा-पत्र में आवेदन निर्धारित रूप पत्र पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा कर परिषद कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा । इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु 10 रु० प्रति आवेदन पत्र तथा नवीनीकरण के लिए 5 रु० प्रति आवेदन पत्र होगा ।

7--अनुज्ञा-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ईंटा, टाइल्स, चूना आदि के बनाने या फुंकने के स्थल का राजस्व अभिलेख जो 6 माह से पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे से स्थल लिया गया हो तो उसका इकरारनामा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

शुल्क निम्नलिखित होगा :

		रु०
(अ)	चिमनी ईंट-भट्ठा	2000.00 वार्षिक
(ब)	बिना चिमनी के ईंट-भट्ठा अनुज्ञा-शुल्क-पत्र :	100.00 ,,
(स)	टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	500.00 ,,
(द)	चूना या सुर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	रु० 500.00 वार्षिक
(य)	चूना या सुर्खी बैल पशुओं द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	100.00 ,,

9--ईंट-भट्ठा, चूना, सुर्खी, टाइल्स आदि बनाने के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन-पत्र कार्यालय जिला परिषद्, गाजीपुर को दिया जायेगा । नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हैं तो पूर्व अनुज्ञा पत्र की तिथि के समाप्त होने के कम से कम 1 माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

10--कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या इन उपविधियों से संबंधित कोई ऐसी सूचना जिनका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, तथा जिला परिषद् का कोई अन्य कर्मचारी, जिसकी नियुक्ति इस कार्य के लिए की गई हो, मांगें तो देने से इंकार नहीं करेंगे ।

11--भट्ठे की ईंटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्ठा या फर्म का नाम उसका चिन्ह या ट्रेड मार्क अंकित करना अनिवार्य होगा ।

12--ईंट-भट्ठा, सुर्खी खपड़ा टाइल्स मालिक यदि लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें तो उसके विरुद्ध धारा 133 सी० आर० पी० सी० के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी ।

13--1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण कराने पर 300.00 रु० का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा । उसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी ।

14--ये उपविधियां गजट में प्रकाशन तिथि से लागू होंगी ।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद् यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उप विधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन 250 रुपये तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, 10 रुपया प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड हो सकेगा अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन मास तक हो सकेगा ।

दिनांक 28 सितम्बर 1992 ई०

संख्या 4518/21-168(91-94)--स्था० नि० महा० जिला परिषद्, बलिया द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) (ई०) के अन्तर्गत बलिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में चिमनी ईंट भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी भट्ठी आदि को नियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से निम्नांकित उपविधियां बनाई, जिसकी पुष्टि आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ने की है । इसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 242 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है । यह उपनियम गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू समझी जायेगी । इस उपनियम के लागू होने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 2820/21-171(49-52) दिनांक 26 मई, 1956 तथा संख्या 889/21-68 (88-91) दिनांक 3 अप्रैल 1989 द्वारा प्रकाशित उपनियमों का ईंट भट्ठा से सम्बन्धित अंश निरस्त समझा जायेगा ।

43/50

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्याः 921 /55-पर्या / 12-94(पर्या) / 11
लखनऊ, दिनांक 27 अप्रैल, 2012 जून

अधिसूचना

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के खण्ड (य) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईंट भट्ठों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आवासीय क्षेत्र/जनसंख्या /संवेदनशील क्षेत्र/आम अथवा फलदार बागों से दूरी

2. उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-18, सन् 1985) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईंट भट्ठा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है :-

(एक) कोई ईंट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगां, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100-150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।

(दो) कोई ईंट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण किया

जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी.टी.जेड.) क्षेत्र के मामले में समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे--

(तीन) कोई ईंट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईंट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पॉच) कोई ईंट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छः) कोई ईंट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के 'बफर जोन' में कोई ईट भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नही दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई, में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईंट भट्ठा से दूरियॉ प्रत्येक दिशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के वृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

ईंट भट्ठा की स्थापना हेतु अनुमति	3. ईंट भट्ठा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्ठा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।
उत्सर्जन मानक	4. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा ईंट भट्ठों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊचांई सम्मिलित है, ईट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस आर 543(ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।
ईट भट्ठे में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियॉ	5. इस नियमावली के अधीन स्थापित ईंट भट्ठें में ईंधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी:— (क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डंण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले कें स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में; (ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे—पत्थर, धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा। (ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईटों की पथाई में फ्लाई एश : परन्तु स्पेण्ट आर्गनिक, साल्वेन्ट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेश केक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि और अन्य अपशिष्ट यथा प्लास्टिक रबड़, चमड़ा का ईट भट्ठा में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेंगा।
ईंट भट्ठे स्वत्वधारी के कर्तव्य	6. (1) ईट भट्ठे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पेटी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पेटी विकास के साथ ईंट भट्ठा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड़ है। (2) तड़ित हमले के कारण भट्ठे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार

तड़ित अवरोधक ईंट भट्ठा के लिए स्थापित किः जायेगा।

(3) ईंट भट्ठा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख–रखाव प्रक्रिया जिसमें, कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईंटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईंट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईंटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खडी कटाई न की जाय अपितु ढालवार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि–भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

ईंट भट्ठा की प्रचालन हेतु अनुमति

7. कोई व्यक्ति जो कि ईंट भट्ठा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईंट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यवसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद् से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है :

परन्तु यह कि, कोई ईंट भट्ठा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

47/50

Annexure-II 50

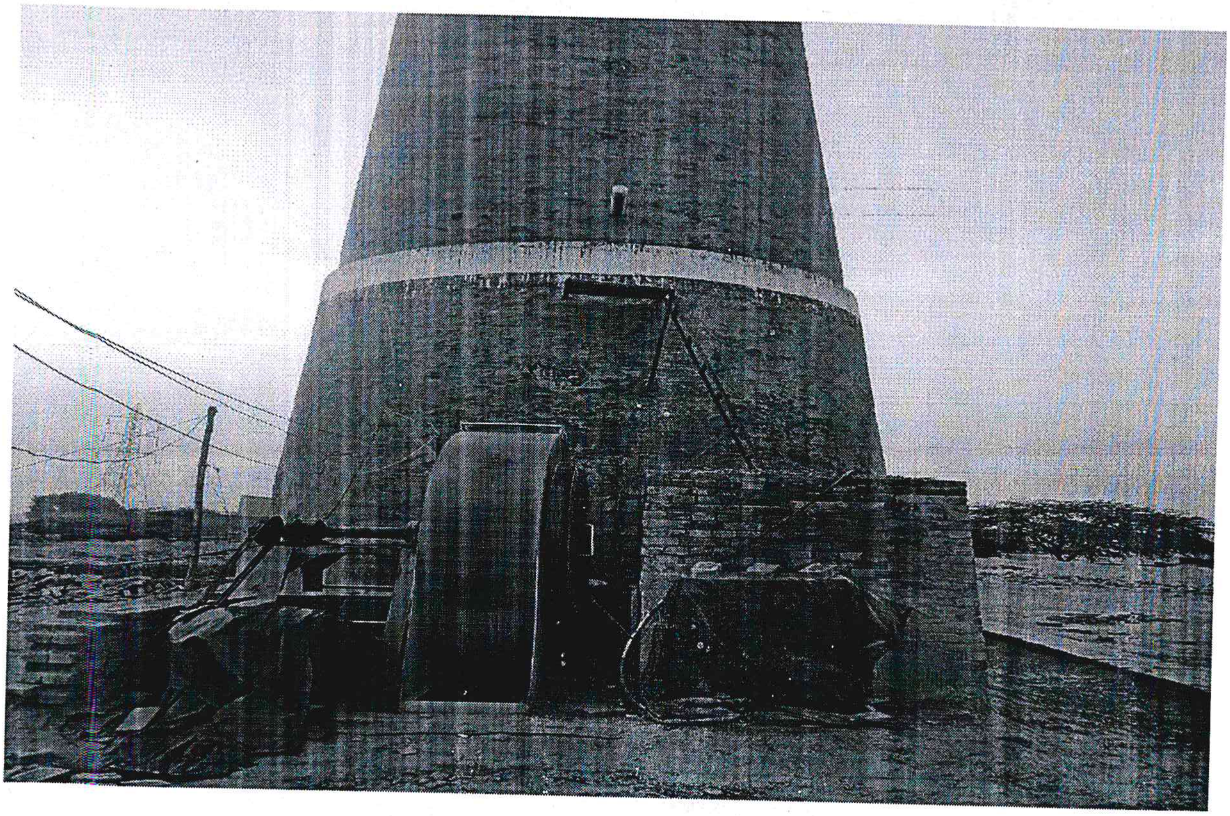

JCB

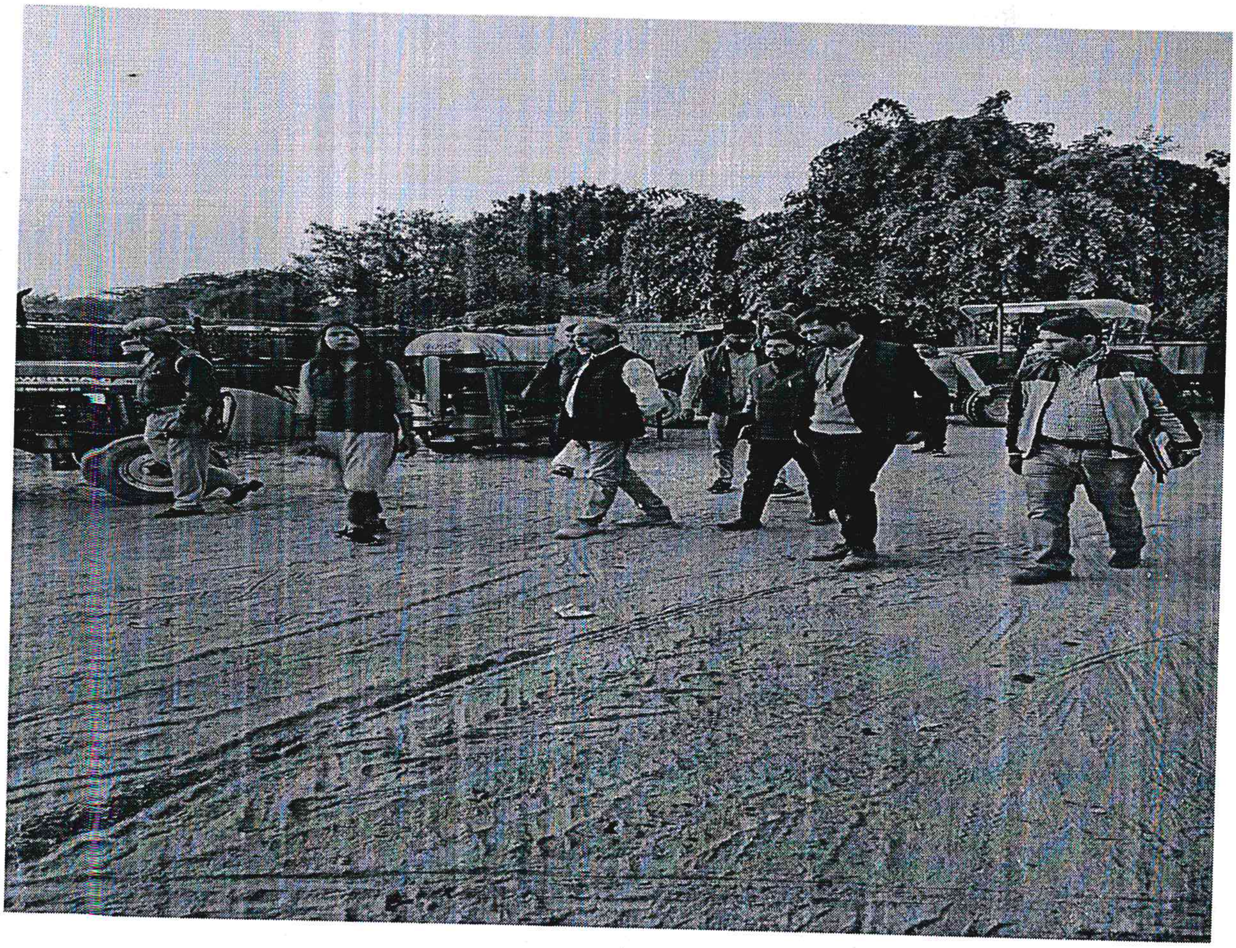

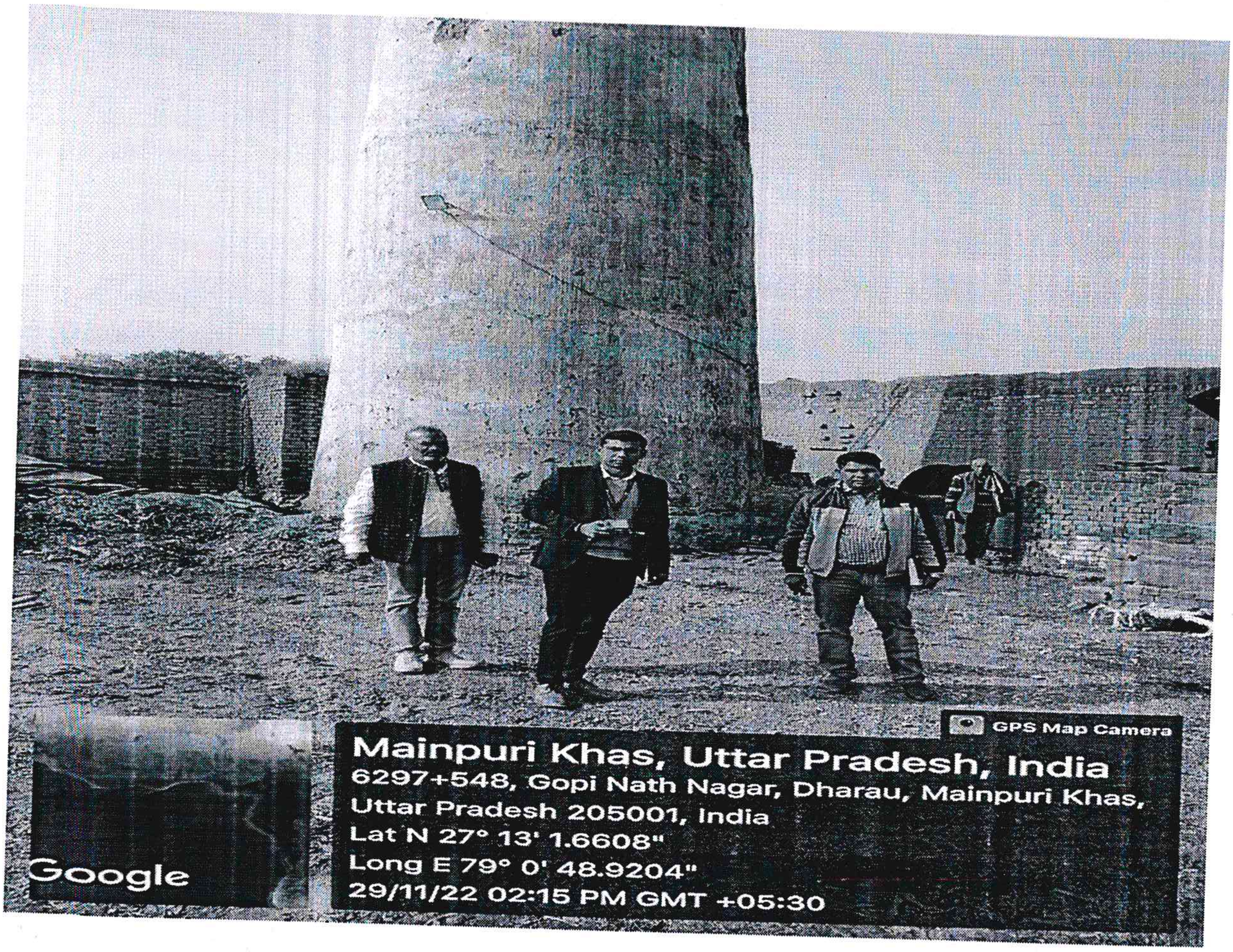
GPS Map Camera
Mainpuri Khas, Uttar Pradesh, India
6297+548, Gopi Nath Nagar, Dharau, Mainpuri Khas, Uttar Pradesh 205001, India
Lat N 27° 13' 1.6608"
Long E 79° 0' 48.9204"
29/11/22 02:15 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Mainpuri Khas, Uttar Pradesh, India
6297+548, Gopi Nath Nagar, Dharau, Mainpuri Khas, Uttar Pradesh 205001, India
Lat N 27° 13' 1.6608"
Long E 79° 0' 48.9204"
29/11/22 03:59 PM GMT +05:30
Google